15–चिकित्सा विभाग

संवर्ग : दृष्टिमितिज्ञ (ऑप्टोमैट्रिस्ट)

राजकीय ऑप्टोमैट्रिस्ट एसोसिएशन, उत्तराखण्ड द्वारा यह मांग की गई है कि उनके संवर्ग के ढांचे का निम्नानुसार पुनर्गठन व संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया जाय–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/ग्रेड वेतन
1.	दृष्टिमितिज्ञ	77	5200–20200/4200
2.	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ	37	9300–34800/4600
3.	मुख्यदृष्टिमितिज्ञ	13	15600–39100/5400
4.	उपनिदेशक	02	15600–39100/6600
5.	संयुक्त निदेशक	01	15600–39100/7600
	योग	**130**	

यह अवगत कराया है कि तृतीय वेतन आयोग 1976 एवं चतुर्थ वेतन आयोग 1986 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग अन्य संवर्गों के प्रारम्भिक वेतनमान के उच्च स्तर पर था लेकिन वर्तमान समय में समान शैक्षिक योग्यता एवं समान तकनीकी योग्यता होने के बाद भी संवर्ग का वेतनमान उच्चीकृत न किया जाना न्याय संगत नहीं है। तुलना हेतु फार्मासिस्ट, एक्स–रे टेक्निशियन, डेन्टल हाइजीनिस्ट एवं लैब तकनीशियन के पूर्व में 1976 से विभिन्न वेतन आयोगों के अंतर्गत वेतनमानों का विवरण दृष्टिमितिज्ञ के वेतनमान सहित इंगित किया है जिससे यह इंगित किया है कि पूर्व में इन पदों का वेतनमान समान अथवा दृष्टिमितिज्ञ से कम था और अब ग्रेड वेतन 4200/4600 किया जा चुका है।

दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के प्रारंभिक वेतन बैण्ड के ग्रेड–पे रू0 2800 को रू0 4200 में उच्चीकृत करने की मांग के सम्बन्ध में बताया है कि इनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग तथा दो वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित है जो फार्मासिस्ट संवर्ग एवं एक्स–रे तकनीशिन संवर्ग के समान है। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 1986 के चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों पर इनका प्रारंभिक वेतनमान रू0 1400–2300 था तथा फार्मासिस्ट संवर्ग का वेतनमान दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग से एक स्तर न्यून रू0 1350–2200 था, परन्तु वर्तमान में फार्मासिस्ट संवर्ग ढांचे का उच्चीकृत वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है और दृष्टिमितिज्ञ को वर्तमान समय तक इस लाभ से वंचित रखा है। यह भी बताया है कि वर्तमान में दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के 130 पद सृजित हैं एवं उत्तर प्रदेश राज्य में अभी भी ग्रेड–पे 2800 ही है। साथ ही यह भी सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 25 जुलाई, 2016 भाग–ख में चिकित्सा एवं पराचिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत ऑप्टोमैट्रिस्ट संवर्ग के लिए संशोधित वेतन संरचना अनुमन्य की गयी हैं।

अन्य राज्य (पंजाब, पुडुचेरी व तमिलनाडु) में दृष्टिमितिज्ञ का प्रारम्भिक वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 बताया है। हिमाचल प्रदेश में दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग का

प्रारम्भिक वेतनमान रू0 10800–34800 ग्रेड वेतन 3800 बताया है। फार्मासिस्ट संवर्ग के समान शैक्षिक योग्यता एवं तकनीकी प्रशिक्षण होने के फलस्वरूप ऑटोमैट्रिस्ट संवर्ग के ढांचागत निर्माण का औचित्य होना कहा है। वर्तमान में दृष्टिभितिज्ञ संवर्ग में पदों की संख्या व वेतनमान की स्थिति निम्नानुसार इंगित की गई है:–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/ग्रेड वेतन
1.	दृष्टिभितिज्ञ	80	5200–20200/2800
2.	वरिष्ठ दृष्टिभितिज्ञ	40	9300–34800/4200
3.	मुख्यदृष्टिभितिज्ञ	10	
	योग	130	

(मुख्य दृष्टिभितिज्ञ पद अभी रिक्त बताए गये हैं।)

भारत सरकार द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग द्वारा ऑप्टोमैट्रिस्ट संवर्ग का प्रारम्भिक वेतनमान के ग्रेड वेतन रू0 2800 को रू0 4200 में उच्चीकृत करते हुए संशोधित वेतन संरचना अधिसूचित की गई है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की अधिसूचना 25 जुलाई, 2016 में ऑप्टोमैट्रिस्ट संवर्ग के वेतनमान निम्नानुसार उच्चीकृत/संशोधित किये गये हैं:–

क्र0सं0	पदनाम	मौजूदा ग्रेड वेतन	संशोधित ग्रेड वेतन
1.	ऑप्टोमैट्रिस्ट	2800	4200
2.	वरिष्ठ ऑप्टोमैट्रिस्ट	4200	4600
3.	ऑप्टोमैट्रिस्ट (कदाचित ऑप्टोमैट्रिस्ट अधिकारी)	4600	4800

उठाये गये प्रकरण के सम्बन्ध में अन्य संवर्गों से तुलना के आधार पर आप्टोमैट्रिस्ट संवर्ग के वेतनमान उच्चीकृत करने का आधार मान्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व सरकार में लागू सिद्धांत के अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना/समतुल्यता मान्य नहीं है।

इस प्रकार वेतन विसंगति का यह प्रकरण विचारणीय नहीं है। इस मध्य सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में भारत सरकार द्वारा इस संवर्ग की वेतन संरचना संशोधित की है जिसमें आप्टोमैट्रिस्ट, वरिष्ठ आप्टोमैट्रिस्ट एवं आप्टोमैट्रिस्ट अधिकारी का ग्रेड वेतन की संरचना संशोधित की गई है। अतः समिति का सुझाव है कि राज्य में भी तदानुसार ही वेतन संरचना संशोधित की जा सकती है तथा योग्यता, भर्ती आदि की अन्य शर्तों की समानता भी रखी जानी चाहिए।

संवर्ग : डार्क रूम सहायक

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड एवं **डार्क रूम सहायक एसोसिएशन** द्वारा स्वास्थ्य विभाग के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत डार्क रूम सहायक का वेतन ग्रेड पे 1900 के स्थान पर 2400 करने का प्रकरण प्रस्तुत किया है। डार्क रूम सहायक की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान) है एवं नियुक्ति पश्चात उनको 06 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डार्क रूम सहायक अराजपत्रित सेवा नियमावली–1998 की उपलब्ध कराई गई छायाप्रति से होती है। इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनका कार्य एवं दायित्व एक्स–रे विभाग में एक्स–रे तकनीशियन के समतुल्य है जिसका ग्रेड वेतन 4600 है। यह भी अवगत कराया कि इनकी शैक्षिक योग्यता ग्राम पंचायत अधिकारी, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, गन्ना विभाग, सहकारिता, ग्राम्य विकास अधिकारी के ग्रुप–सी के समान है तथा कि समूह–ग का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़कर 2400 हो गया है।

यह प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं अपितु पद का वेतनमान उच्चीकरण का है। उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व सरकार द्वारा लागू सिद्धांत के आधार पर एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना/समतुल्यता नहीं की जा सकती है। इस कारण उक्त प्रकरण वेतन विसंगति के अंतर्गत विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : ई0सी0जी0 तकनीशियन

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड एवं **ई0सी0जी0 तकनीकी एसोसिएशन** द्वारा ई0सी0जी0 तकनीशियन का ग्रेड वेतन 2000 से उच्चीकृत कर 2400 करने की मांग की गई है। ई0सी0जी0 तकनीशियन की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान) है। अवगत कराया कि इनकी शैक्षिक योग्यता कृषि विभाग, उद्यान विभाग, गन्ना विभाग, सहकारिता, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के ग्रुप–सी पदों के समान है तथा समूह 'ग' का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़कर 2400 हो गया है। उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तकनीशियन (अराजपत्रित) सेवा नियमावली–1998) (अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) (संशोधन) नियमावली–2008 प्रचलित है। सेवा नियमावली की उपलब्ध कराई गई छायाप्रति अनुसार नियुक्ति के पश्चात 06 माह की अवधि के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तकनीशियन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करने की आवश्यकता है जिसे नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण करना होता है।

यह प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं अपितु पद का वेतनमान उच्चीकरण का है। उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व सरकार द्वारा लागू सिद्धांत के आधार पर एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना/समतुल्यता नहीं की जा सकती है। इस कारण उक्त प्रकरण वेतन विसंगति के अंतर्गत विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : वैयिक्तक सहायक संवर्ग

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का वैयक्तिक सहायक पद का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 से 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकरण का प्रकरण वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के माध्यम संदर्भित हुआ है। विभागीय सूचना/प्रस्ताव में इंगित किया गया है कि वैयक्तिक सहायक का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 है। समान भर्ती का स्रोत, शैक्षिक योग्यता, कार्य दायित्व का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक अकादमी नैनीताल आदि कतिपय विभागों/संस्थाओं में वैयक्तिक सहायक का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 होने के आधार पर वेतन उच्चीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड वैयक्तिक सहायक/वैयक्तिक अधिकारी महासंघ की यह मांग अन्य विभागों में भी इस प्रकार की स्थिति होने के दृष्टिगत उठाई है। चूंकि वैयक्तिक सहायक पद के वेतन उच्चीकरण सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में अलग स्थान पर समिति ने संस्तुति की है, अतः यहां इस पर अलग से संस्तुति की आवश्यकता नहीं रह जाती।

संवर्ग : नर्सिंग संवर्ग

उत्तराखण्ड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया है कि नर्सिंग संवर्ग की शैक्षिक योग्यता नर्सिंग में 03 वर्ष 06 माह का डिप्लोमा है। यह भी कहा गया कि फार्मासी संवर्ग हेतु शैक्षिक योग्यता 02 वर्ष का डिप्लोमा है। संघ का कथन था कि पूर्व से स्टाफ नर्स का वेतनमान चीफ फार्मासिस्ट के बराबर, सिस्टर/वार्ड मास्टर का वेतनमान प्रभारी अधिकारी फार्मासिस्ट के बराबर था। राज्य सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 31.12.2013 द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग के ग्रेड पे उच्चीकृत कर दिए जाने के कारण नर्सिंग संवर्ग के ग्रेड पे कमतर हो गये हैं। मांग की गई कि स्टाफ नर्स ग्रेड पे 4600 को बढ़ाकर 5400, सिस्टर ग्रेड पे 4800 को बढ़ाकर 6600, सहायक नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड पे 5400 को बढ़ाकर 6600 तथा उप निदेशक ग्रेड पे 6600 को बढ़ाकर 7600 किया जाय।

स्पष्टतया प्रकरण में फार्मासिस्ट संवर्ग से तुलना की जा रही है। समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के उपरान्त एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना (इन्टर–से–पैरिटी) का सिद्धांत समाप्त हो चुका है। यद्यपि नर्सेज सर्विसेज की शैक्षिक योग्ता तुलनात्मक रूप से फार्मेसी संवर्ग से उच्च है परन्तु प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है अपितु वेतनमान उच्चीकरण का है, अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : उप प्रबंधक एवं अकादमिक सहायक संवर्ग

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के उप प्रबंधक एवं अकादमिक सहायकों द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि इन पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वेतन विसंगति दूर की जाय। इस सम्बन्ध में निदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा शासन को प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न

की गई है। निदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा शासन को प्रेषित उक्त वर्णित पत्र द्वारा संस्थान में उप प्रबन्धक एवं अकादमिक सहायक के पदों पर वेतनमान रू0 6500–10500 पर कार्यरत नियमित कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से रू0 4800 ग्रेड वेतन में उच्चीकृत करने हेतु यथोचित शासनादेश निर्गत करने का प्रस्ताव दिया है जिसमें शासनादेश संख्या 483 दिनांक 12 मार्च, 2010 एवं शासनादेश संख्या 69 दिनांक 10.04.2012 के आलोक में ग्रेड वेतन उच्चीकरण करने की अपेक्षा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। यह प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है बल्कि वर्णित शासनादेशों की व्याख्या से सम्बन्धित है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज, हल्द्वानी का राजकीयकरण अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2010 द्वारा हुआ है और उससे पूर्व यह संस्थान फारेस्ट हास्पीटल ट्रस्ट द्वारा संचालित था। साथ ही प्रत्यावेदन में इंगित पदों के कर्मचारीगण को पंचम वेतनमान अंतर्गत इंगित वेतनमान के अनुसार ही छठे वेतनमान में उच्चीकृत वेतन अंतर्गत ग्रेड वेतन 4600 प्रदान हुआ है जिसमें कदाचित कोई त्रुटि इंगित नहीं होती है। तदानुसार प्रकरण विचारणीय नहीं है। यदि कोई अन्य तथ्य हो जो इंगित मांग का औचित्य स्पष्ट करें तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में प्रभावी शासनादेशों के अंतर्गत परीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण पर विचार कर सकती है।

संवर्ग : भौतिक चिकित्सक संवर्ग

भौतिक चिकित्सक संघ, उत्तराखण्ड द्वारा मांग की गई है कि फिजीयोथैरेपिस्ट (ग्रेड वेतन 4200) का न्यूनतम ग्रेड वेतन 4600 किया जाय। यह कहा गया है कि फिजियोथैरेपिस्ट का स्नातक पाठ्यक्रम साढ़े चार वर्ष का होता है। राज्य में एक्स–रे टैक्नीशियन, लैब टैक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट को राज्य सरकार द्वारा ग्रेड वेतन 4600 दिया जा चुका है जिसकी दृष्टि से भी न्यूनतम ग्रेड वेतन 4600 का औचित्य इंगित किया गया है। भारत सरकार में जूनियर फिजियोथैरेपिस्ट का वर्तमान वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 है। पांच वर्ष बाद रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन 7600 होना इंगित किया गया है। मांग की है कि भारत सरकार के फिजियोथैरेपिस्ट की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी फिजियोथैरेपिस्ट को केंद्र के समान समकक्षता प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रदेशों (नागालैण्ड एवं जम्मू–कश्मीर) से भी तुलना प्रस्तुत की गई है। यह भी कहा है कि फिजियोथैरेपिस्ट संवर्ग का ढांचा पुनर्गठन किया जाय। विभाग से प्राप्त सूचना/विवरण अनुसार वर्तमान में फिजियोथैरेपिस्ट के 47 पद स्वीकृत व 43 कार्यरत हैं। इस पद का 1.1.1986 से पूर्व का वेतनमान 620–1240, 1.1.1986 से वेतनमान 1600–2660, 1.1.1996 से वेतनमान 5000–8000 व 1998 संशोधित वेतनमान 5500–9000 एवं 1.1.2006 से 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 बताया गया है। विभाग से उपलब्ध हुए विवरण अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में फिजियोथैरेपिस्ट का पद

वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 का है। उन्होंने भारत सरकार (कदाचित अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली) में इस संवर्ग के पांच स्तरीय संवर्ग क्रमशः जूनियर फिजियोथैरेपिस्ट (ग्रेड वेतन 4200), फिजियोथैरेपिस्ट (ग्रेड वेतन 4200), वरिष्ठ फिजियोथैरेपिस्ट (15600–39100 ग्रेड वेतन 5400), सुपरिन्टेंडेंट फिजियोथैरेपिस्ट (ग्रेड वेतन 6600) एवं चीफ फिजियोथैरेपिस्ट (ग्रेड वेतन 7600) होना इंगित किया है जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में दो स्तरीय संवर्ग क्रमशः फिजियोथैरेपिस्ट (ग्रेड वेतन 4200) तथा वरिष्ठ फिजियोथैरेपिस्ट (ग्रेड वेतन 5400) होना बताया है।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। पंचम वेतन आयोग में फिजियोथैरेपिस्ट का वेतनमान 5500–9000 था, जिसके अनुरूप वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200 दिया गया है। केंद्र में भी यही व्यवस्था लागू है। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण विसंगति का न होकर वेतनमान उच्चीकरण से सम्बन्धित है। जहां तक ढांचा पुनर्गठन की मांग है वह इस समिति में कार्यक्षेत्र में नहीं है परन्तु प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध होने का प्रश्न इसमें निहित है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर समुचित निर्णय लिया जाना उचित होगा।

संवर्ग : रेफ्रीजरेटर मैकेनिक

उत्तराखण्ड रेफ्रीजरेटर मैकेनिक कर्मचारी संघ द्वारा मांग की गई है कि रेफ्रीजरेटर मैकेनिक (शीतक यंत्र यांत्रिक) का ग्रेड वेतन 2000 को उच्चीकृत कर 2800 किया जाय। इस सम्बन्ध में उनका कथन है कि उनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल विज्ञान सहित दो वर्षीय आई0टी0आई0 डिप्लोमा (ट्रेड रेफ्रीजरेशन एवं एयर कंडिश्निंग) के साथ एक वर्षीय अप्रेन्ट्रिस का तकनीकी अनुभव है तथा भर्ती का स्रोत विशेष चयन समिति है और कार्य दायित्व विभाग के कोल्ड चेन उपकरण की मरम्मत एवं रखरखाव है। संघ का कथन है कि समान भर्ती, समान कार्य, समान शैक्षिक योग्यता और समान कार्य दायित्व पर पशुपालन विभाग में इसी पद का ग्रेड वेतन 2800 है। इस आधार पर वेतन उच्चीकरण मांग की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। समता समिति की संस्तुतियों के क्रम में लागू सिद्धांत अनुसार राज्य में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की समतुल्यता (इन्टर–से–पैरिटी) मान्य नहीं है। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है। यह भी संस्तुति है कि राज्य सरकार इस संवर्ग को मृत घोषित करके इस पद के कार्य एवं दायित्वों को आउट सोंस या बाह्य सेवा व्यवस्था के माध्यम से कराने पर भी निर्णय लेने पर विचार कर लें।

संवर्ग : स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला/पुरूष)

उत्तराखण्ड स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (मूल पदधारक) संघ द्वारा सीधी भर्ती मूल पद धारक स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (स्वास्थ्य निरीक्षक, सर्वेलेंस निरीक्षक, चेचक पर्यवेक्षक व स्वास्थ्य निरीक्षिका को वेतन विसंगति दूर करते हुए दिनांक 01.07.1979 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरूष)

से उच्च वेतनमान दिये जाने की मांग प्रस्तुत की है। शासन के वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के माध्यम से भी यह प्रकरण संदर्भित हुआ हैं। उत्तराखण्ड मातृ–शिशु एवं परिवार कल्याण महिला संघ द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) का पद फार्मासिस्ट पद के समतुल्य और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला/पुरूष) का पद चीफ फार्मासिस्ब्ट पद के समतुल्य है तथा इनका वेतनमान वर्ष 2013 तक एक समान रहा है किन्तु दिनांक 31.12.2013 से फार्मासिस्ट पद का वेतनमान स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) पद के वेतन से अधिक तथा चीफ फार्मासिस्ट पद का वेतनमान स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद के वेतनमान से अधिक किये जाने के फलस्वरूप वेतन विसंगति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा है कि इस हेतु महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से प्रेषित प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद की वेतन विसंगतियों दूर करने की अपेक्षा की है।

महानिदेशक की सूचना एवं प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) तथा फार्मासिस्ट के पूर्व वेतनमान सहित, भर्ती स्रोत, शैक्षिक योग्यता/व्यवसायिक योग्यता व कार्य एवं दायित्व का विवरण दिया गया है जिसमें यह इंगित किया गया है कि दिनांक 01.01.1979 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतनमान 470–735 था जबकि फार्मासिस्ट का वेतनमान 400–615 रहा। तदोपरांत 01.01.1886, 01.01.1996 एवं 01.01.2006 से इन दोनों पदों के समान वेतनमान क्रमशः 1350–2200, 4500–7000 व 5200–202100 ग्रेड वेतन 2800 रहना बताया गया है। कालान्तर में दिनांक 02.05.2013 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 किये जाने व दिनांक 31.12.2013 से फार्मासिस्ट का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 दो वर्ष बाद ग्रेड वेतन 4600 कर दिये जाने की सूचना भी दी गई है। महानिदेशक द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की अपेक्षा की गई है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला/पुरूष पद के सम्बन्ध में 01.01.1979, 01.01.1986 व 01.01.2006 से वेतनमान क्रमशः 470–735, 1350–2200, 4500–7000 तथा 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 सूचित करते हुए चीफ फार्मासिस्ट पद का दिनांक 31.12.2013 से पूर्व वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 व दिनांक 31.12.2013 से 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 होना इंगित करते हुए भर्ती स्रोत, शैक्षिक अर्हता, कार्य–दायित्व समान होने का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 5400 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की अपेक्षा की गई है।

चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 02 मई, 2013 की उपलब्ध छायाप्रति से स्पष्ट इंगित होता है कि न्यायालय निर्णय दिनांक 02.4.1985 के क्रम में दिनांक 23.07.1981 से 30.04.1995 तक का अवशेष वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई है एवं संबन्धित कार्मिकों को दिनांक 01.05.1995 से 30.06.2010 तक का पुनरीक्षित वेतनमान का पूर्व लाभ प्राकल्पित आधार पर अनुमन्य किया गया है एवं 01.07.2010 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वैयक्तिक वेतन के

रूप में अनुमन्य किया गया है। साथ ही नई नियुक्तियां मूल वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 में करने की व्यवस्था निर्देशित की गई है।

उत्तराखण्ड स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (मूल पदधारक) संघ द्वारा दिये गये विवरण अनुसार वर्ष 1956 से 1981 तक विभिन्न कार्यक्रमों अंतर्गत कार्यकर्ता व पर्यवेक्षक के पद सृजित हुए एवं कार्यकर्ता पद पर्यवेक्षक के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन रहने व पर्यवेक्षक का वेतनमान हमेशा कार्यकर्ता से अधिक होना कहा गया है। यह कहा है कि शासनादेश दिनांक 23.07.1981 के द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना लागू की गई जिसके अनुसार केवल दो पद क्रमशः स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरूष) व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला/पुरूष) ही रखे गये। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष अंतर्गत गृह दर्शक, बेसिक हैल्थ वर्कर, वैक्सीनेटर, स्वास्थ्य सहायक व स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला अंतर्गत ए.एन.एम. पद इंगित किये गये हैं और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरूष अंतर्गत सर्वेलेंस निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, चेचक पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य सहायक व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला अंतर्गत हैल्थ विजिटेर पद सम्मिलित होना इंगित किया गया है। यह सूचित किया है कि सर्वेलेंस निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, चेचक पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य सहायक के उच्च वेतनमान के पद मृत घोषित किये गये एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद प्रोन्नति का पद रहने की व्यवस्था हुई। संघ द्वारा कार्यकर्ता स्तर व पर्यवेक्षक स्तर के विभिन्न समयावधि में निम्नानुसार वेतनमान इंगित किये गये–

अवधि	16.7.2010 से पूर्व की स्थिति		16.7.2010 के बाद की स्थिति	
01.07.1979 से	354–550	470–735	400–615	470–735
23.07.1981 से	400–615	470–735	470–735	470–735
01.01.1986 से	975–1660	1350–2200	1350–2200	1350–2200
01.01.1996 से	3200–4900	4500–7000	4500–7000	4500–7000
01.01.2006 से	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800

संघ ने यह भी कहा है कि नियुक्ति की तिथि से वर्तमान तक वेतन आहरण सर्वेलेंस निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, चेचक पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, (LHV) के पदनाम से ही किया जाता रहा है। शासनादेश दिनांक 23.04.2013 से कार्यकर्ताओं की नई नियुक्ति वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 में होने व पुराने कार्यकर्ताओं का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 मिलते रहने की स्थिति संघ ने अवगत कराई है व सीधी भर्ती के मूल पुराने पर्यवेक्षक पदधारकों को भी ग्रेड वेतन 2800 दिया जाना कहा है। संघ द्वारा स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का वेतनमान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से दिनांक 01.07.1979 से उच्चीकृत करने हेतु शासनादेश निर्गत कराने की कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गई है।

इस प्रकरण में एक पहलू फार्मासिस्ट व चीफ फार्मासिस्ट पद से तुलना करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का वेनतमान क्रमशः ग्रेड वेतन 4200 व 5400 करने से सम्बन्धित इंगित होता है तो दूसरा पहलू विगत विभिन्न अवसरों पर मा0 न्यायालय के आदेशों व अन्य पारिस्थितियों के क्रम में कतिपय विशिष्ट निर्णय लिये गये हैं तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नई नियुक्तियां ग्रेड वेतन 2000 में की जानी की व्यवस्था की गई है जबकि पुराने पदधारकों जिन्हें ग्रेड वेतन 2800 अनुमन्य किया जा चुका था उन्हें वैयक्तिक वेतन के रूप में दिनांक 01.07.2010 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया है। समता समिति द्वारा प्रतिपादित व राज्य में लागू सिद्धान्त अनुसार एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य न होने से स्वास्थ्य कार्यकर्ता व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद का वेतनमान फार्मासिस्ट व चीफ फार्मासिस्ट से तुलना के आधार पर उच्चीकृत करने का प्रकरण विचार योग्य नहीं है। मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की समीक्षा करने का भी कोई औचित्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) अध्यादेश 1995 भी कदाचित इस प्रकरण के संदर्भ में पूर्ववती उ0प्र0 राज्य में अधिसूचित किया गया एवं समय–समय पर सेवा नियमावलियां/संशोधन नियमावली भी निर्गत हुई हैं।

संवर्ग : फिजियोथैरेपी टैक्नीशियन (कुष्ठ)

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा कहा कि राजकीय कुष्ट विभाग में कार्यरत फिजियोथैरेपी टैक्नीशियन का ग्रेड वेतन रू0 4200 किया जाय। अवगत कराया गया कि लैप्रोसी विभाग में कार्यरत फिजियोथैपी टैक्नीशियन की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान के साथ 09 माह का फिजियोथैरेपी टैक्निशियन का डिप्लोमा है। यह भी अवगत कराया गया कि फिजियोथैरेपी टैक्निशियन का केंद्र सरकार में ग्रेड वेतन 4200 है जबकि उत्तराखण्ड राज्य में ग्रेड वेतन 2400 है।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। केंद्र सरकार से समतुल्यता के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। सेंट्रल लैप्रोसी टीचिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के विवरण की छायाप्रति में दो फिजियोथैरेपी टैक्नीशियनों के ग्रेड वेतन 4200 एवं 4600 दर्शाये गये हैं। इस विवरण के आधार पर वेतन विसंगति/उच्चीकरण प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा संघों व विभागों को अवसर प्रदान कर केंद्र से पदों की समकक्षता के सम्बन्ध में पद चिन्हित किये गये थे और तत्समय की गई कार्यवाही उपरान्त अब नये सिरे से संदर्भित प्रकरण पर विचार करने का अवसर प्रतीत नहीं होता।

16–उच्च शिक्षा विभाग

संवर्ग : कुमाऊं विश्वविद्यालय के विभिन्न पद

कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित ज्ञापन तथा शासन के **वित्त विभाग** के पत्र संख्या 211/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के साथ कुल सचिव, कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल के पत्रों में विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों के वेतनमान उच्चीकरण की मांग की गई है जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में इंगित है :–

क्र.सं.	वेतन विसंगति प्रकरण	वर्तमान वेतनमान	अपेक्षित वेतनमान
1.	प्रयोगशाला सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400
2.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
3.	फार्मासिस्ट	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
4.	काउन्टर सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
5.	सूचीकार	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
6.	मैकेनिक	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000
7.	इलैक्ट्रीशियन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400
8.	संख्यिकी सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
9.	आन्तरिक लेखा परीक्षक	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	4000–6000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800

प्रयोगशाला एवं वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के वेतन विसंगति के निराकरण हेतु उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 3157(1)/xxiv(7)/2013–55(1)/10दिनांक 29.10.2013 का आधार लिया गया है जिसमें शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के पद का वेतनमान तत्काल प्रभाव से रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 अनुमन्य किया गया है। यह इंगित किया गया है कि भर्ती स्रोत, शैक्षिक अर्हता व कार्य दायित्व समान हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार कर यह पाया कि यद्यपि शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला सहायक/वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संवर्ग अलग–अलग हैं और इस आधार पर उनकी एक दूसरे से तुलना के आधार पर वेतनमान आदि की समानता का सीधा आधार होने सम्बन्धी सिद्धान्त नहीं है, तथापि कदाचित राज्य सरकार द्वारा परम्परागत व नीतिगत रूप से विश्वविद्यालय के पदों व शासकीय महाविद्यालय के पदों के सम्बन्ध में समान नीति अपनाई जाती रही है जिसमें कदाचित कोई बदलाव अथवा विचलन नहीं हुआ होगा। इस दृष्टि से कुमायुं विश्वविद्यालय में इंगित प्रयोगशाला सहायक एवं वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के वेतनमानों की तद् अनुरूप समानता पर विचार किया जा सकता है। यह अवलोकनीय है कि वेतन विसंगति समिति के 9 वें प्रतिवेदन के बिन्द–18 पर तकनीकी विभाग राजकीय पालीटेक्निकों में कार्यरत लैब सहायक फार्मेसर की वेतन विसंगति को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 8 सितम्बर 2010 जिसमें राजकीय विभागों के समस्त तकनीशियन सवंर्ग जिसमें प्रयोगशाला सहायक भी सम्मिलित हैं,(लैब टेक्नीशियन/एक्सरे टेक्नीशियन को छोड़कर) का पुनर्गठन किया गया है कि भॉति उत्तराखण्ड में भी उसी अनुरूप तकनीशियन संवर्ग का पुर्नगठन की संस्तुति की है तथा प्रयोशाला सहायक सवर्ग के संदर्भ में वेतन विसंगति समिति की उक्त संस्तुति के उपरान्त पृथक से संस्तुति का अब अवसर नहीं होगा उल्लिखित है।

फार्मासिस्ट के पद के सम्बन्ध में इंगित विसंगति भी केवल वेतन उच्चीकरण सम्बन्धी है जिसमें चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्टों का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 से वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 शासनादेश संख्या 2084/XXVIII–3–2013–142/2008 दिनांक 31.12.2013 द्वारा अनुमन्य किया जाना सूचित करते हुए इस आधार पर मांग की गई है।

वेतन समिति का मत है कि यद्यपि विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट के अलग–अलग संवर्ग हैं और उनके मध्य आपसी तुलना नहीं की जानी चाहिए, तथापि कदाचित विश्वविद्यालय में शासन के चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट पद के अनुरूप ही फार्मासिस्ट का पद सृजित है। **वेतन विसगंति समिति ने अपने 24 वे प्रतिवेदन में प्रस्ताव–1 के कम में संस्तुति की है कि यदि प्रदेश के अन्य विभिन्न विभागों जहॉं पर फार्मासिस्ट सवंर्ग के पद सृजित हैं वहॉं पर सेवा नियमावली के अनुसार पद की शैक्षिक योग्यता, अन्य अर्हता, भर्ती का स्रोत, कार्य एवं दायित्व पूर्णतया एक समान हों तो वहॉं भी तृदनुसार चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग के समान वेतनमान अनुमन्य किया जाय। वेतन विसंगति समिति के उक्त संस्तुति के आलोक में प्रकरण पर पृथक से संस्तुति करने का अवसर नहीं है।**

काउन्टर सहायक पद के सम्बन्ध में इंगित वेतन विसंगति का प्रकरण भी विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण का है। इस सम्बन्ध में यह आधार लिया गया है कि शासनादेशसंख्या 1127/XXIV(6)/12(73)/2014 दिनांक 13 जुलाई, 2015 के द्वारा कुमायुं विश्वविद्यालय के भेषज विभाग में पुस्तकालय सहायक का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 को उच्चीकृत कर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 अनुमन्य किया गया है तथा पदनाम पुस्तकालय सहायक से पुस्तकालय एवं सूचना सहायक किया गया है। इस सम्बन्ध में समिति ने अवलोकित किया है कि विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय के काउन्टर सहायक तथा विश्वविद्याय के भेषज विभाग में पुस्तकालय सहायक का पदनाम बदलते हुए वेतनमान उच्चीकरण कतिपय अन्य शर्तों के साथ किया गया है।

समिति के मत में यह कदाचित विश्वविद्यालय में दो विभागों में कमोवेश एक ही प्रकृति के दो ऐसे पद जिनका पदनाम भिन्न है, के वेतनमान समान करने की मांग का है। यह वेतन विसंगति का प्रकरण नहीं है बल्कि वेतन उच्चीकरण का है जिसमें अन्य बिन्दुओं पर भी संशोधन की आवश्यकता कदाचित हो। अतः समिति स्तर पर प्रकरण विचारणीय नहीं है बल्कि राज्य सरकार द्वारा सभी पहलुओं से परीक्षण करते हुए इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में पुस्तकालयों हेतु श्रेणीकरण एवं मानकों अनुसार पुनर्गठन किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। कदाचित माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकालयों व उनके ढांचें के सम्बन्ध में मानक नियत किये हैं, को आलोक में लेकर तद्अनुसार पुस्तकालय संवर्ग के पुनर्गठन पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।

कुमायुं विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय में कार्यरत सूचीकार पद का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 इंगित किया है तथा यह अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय परिसरों में सूचीकार को ग्रेड वेतन 4200 दिया जा रहा है। उपलब्ध कराये गये पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार पर्वतीय विकास अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 622/28–2–91–5(98)/89 दिनांक 22 अप्रैल, 1991 की छायाप्रति में सूचीकार पद का वेतनमान रू0 1400–2600 तथा अर्हता स्नातक उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि वर्णित होना इंगित होता है। विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में कार्यरत सूचीकार की अर्हता भी तदानुसार ही होना सूचित किया गया है।

समिति का मत है कि यह वेतन उच्चीकरण का प्रकरण है जिसमें विश्वविद्यालय के एक विभाग में सृजित पद का वेतनमान विश्वविद्यालय के अन्य परिसरों में सृजित पद के वेतनमान से भिन्न है। समिति को इस सम्बन्ध में विभिन्न सूचनाएं व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में समस्त सूचनाओं व अभिलेखों का परीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा

यथोचित निर्णय लिया जा सकता है और परीक्षण के समय पुस्तकालयों हेतु पुस्तकालय श्रेणीवार मानक व्यवस्था/ढांचे के सम्बन्ध में भी जानकारी अवश्य कर ली जाय।

कुमायूं विश्वविद्यालय में मैकेनिक पद का वेतनमान ग्रेड वेतन 1900 से 2000 करने की मांग का आधार यह दिया गया है कि राजकीय महाविद्यालयों में शासनादेश संख्या 2292/28–2–89–5(03)/88 दिनांक 28 अगस्त, 1989 द्वारा ग्रेड वेतन 2000 स्वीकृत किया गया है। वर्णित शासनादेश की उपलब्ध कराई गई छायाप्रति अनुसार राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग (पिथौरागढ़) के लिए मैकेनिक/इलैक्ट्रीशियन (भौतिक विज्ञान) का अस्थाई पद वेतनमान 975–1660 (शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल तथा द्विवर्षीय आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र) में सृजित होना इंगित होता है। **यदि वर्तमान में महाविद्यालयों में मैकेनिक का पद ग्रेड वेतन 2000 में है तथा विश्वविद्यालय में 1900 में है तो सभी सम्बन्धित यथा आवश्यक अभिलेखों/बिन्दुओं का परीक्षण करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार कर समुचित निर्णय लिया जाना उचित होगा।**

विश्वविद्यालय के इलैक्ट्रीशियन पद का ग्रेड वेतन 2000 को 2400 में उच्चीकृत करने की मांग के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के इलैक्ट्रीशियन के वेतनमान से तुलना की है तथा इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 144/III(1)/15–34(सामान्य)/08 दिनांक 01 फरवरी, 2016 की छायाप्रति उपलब्ध कराई है जिसमें इलैक्ट्रीशियन का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 को ग्रेड वेतन 2400 में उच्चीकृत किया गया है।

विश्वविद्यालय के इलैक्ट्रीशियन पद के सम्बन्ध में भर्ती स्रोत, अर्हता व कार्य दायित्व के सम्बन्ध में लो0नि0वि0 के इलैक्ट्रीशियन पद से समानता इंगित की गई है तथापि मैकेनिक पद के वेतन उच्चीकरण प्रकरण में राजकीय महाविद्यालय में इलैक्ट्रीशियन पद की स्थिति भिन्न होना इंगित हुआ है। मांग के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण, सूचनाएं व अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। पूर्व में अनुमन्य वेतनमान अनुसार उत्तरोत्तर पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित होते रहे हैं जिसमें त्रुटि होने अथवा वेतन पुनरीक्षण/निर्धारण की विसंगति होना नहीं कहा गया है। अतः प्रकरण का सभी दृष्टि से परीक्षण कर निस्तारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

कुमायूं विश्वविद्यालय के सांख्यिकी सहायक के ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में उच्चीकरण सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में आधार दिया गया है कि राजकीय विभागों में शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 द्वारा ग्रेड वेतन 4600 स्वीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 874/XXVII(7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है जहां सांख्यकीय संवर्ग में प्रथम स्तर के पद का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 (पूर्व वेतनमान 5000–8000) यथावत रखा गया है एवं दूसरे स्तर का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 (पूर्व वेतनमान 5500–9000) के

स्थान पर ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किया गया है। शासनादेश से तदक्रम में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा यथा आवश्यक शासनादेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई थी। इस मांग के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण कर कार्यवाही की जानी थी। **वर्णित सांख्यकीय सहायक पद का पंचम वेतनमान 5000–8000 होना इंगित किया गया है, अतः मांग का कोई औचित्य नहीं क्योंकि ग्रेड वेतन 4600 दूसरे स्तर के पद जिसका पंचम वेतनमान 5500–9000 था, के सम्बन्ध में ही अनुमन्य करने के दिशा–निर्देश जारी हुए हैं।**

आन्तरिक लेखा परीक्षक का ग्रेड वेतन 4200 से 4600 करने की मांग के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 159/XXVII(2)/2006 दिनांक 15 सितम्बर, 2005 की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए यह आधार दिया गया है कि लेखा परीक्षा संवर्ग में ज्येष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक का ग्रेड वेतन 4600 स्वीकृत किया गया है। लेखा परीक्षा संवर्ग के ज्येष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक पद से विश्वविद्यालय के आन्तरिक लेखा परीक्षक की तुलना के सम्बन्ध में यथा आवश्यक विस्तृत विवरण/अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। **वैसे अब लेखा परीक्षा विभाग प्रथक स्थापित किया गया है एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा की जानी है। ऑडिट अधिनियम 2012 के बाद की पारिस्थितियां बदल चुकी हैं। अतः आन्तरिक लेखा परीक्षक पद बनाए रखने का अब औचित्य कदाचित नहीं रहा है। राज्य में समस्त लेखा एव लेखा परीक्षा संवर्ग की केन्द्र से समता के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षण प्रत्येक पहलू व पड़ने वाले प्रभाव आदि के संबंध में करते हुए निस्तारण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।**

विश्वविद्यालय में सृजित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा पंच ऑपरेटर के कार्य एवं योग्यताएं समान बताते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रूहलेखण्ड विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग तथा कोषागार निदेशालय में सृजित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के ग्रेड वेतन 2800 अनुसार कुमायूं विश्वविद्यालय के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का ग्रेड वेतन 2800 करने की मांग की गई है। **उल्लेखनीय है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 के वेतनमान राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में लागू नहीं हैं। समता समिति के प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार अन्य कार्यालयों एवं राज्यों के विश्वविद्यालयों से भी तुलना का आधार मान्य नहीं है।**

संवर्ग : प्रयोगशाला सहायक

राजकीय महाविद्यालय तकनीकी कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक संवर्ग के ग्रेड वेतन की विसंगतियों को दूर करने एवं संवर्गीय ढांचा तथा पदनाम प्रदान करने के लिए संस्तुतियां करने की अपेक्षा वेतन समिति से की गई है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि वर्ष 1965 तथा 1972 में गठित वेतन आयोगों में विभाग द्वारा पद से सम्बन्धित आख्या न भेजे जाने के कारण तथा तत्कालीन शिक्षा निदेशकों द्वारा पद की अर्हता, भर्ती का स्रोत एवं

कार्य दायित्व की उपेक्षा किये जाने के कारण प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान 1965 में प्रधान लिपिकों से कम तथा 1972 में पुस्तकालयाध्यक्षों/आशुलिपिकों से भी कम होते हुए आज सबसे न्यून स्तर पर है। इस कथन के साथ निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत कर तुलनात्मक विवरण दिया गया है:–

क्र. सं.	पदनाम	1965 से पूर्व वेतनमान	1965–66 से	1972 से	1979 से	1986 से	1996 से	2006 से
1.	प्रवक्ता	250–550	260–600	450–850	700–1600	2200–4000	8000–1350	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
2.	प्रयोगशाला सहायक	100–200	120–250	230–385	400–615	975–1660	3200–4900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400
3.	पुस्तकालय अध्यक्ष	75–150	140–280	260–480	690–1420	2000–3000	8000–13500	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
4.	प्रधान लिपि/ का0अधी0 प्रशा0 अधि0	100–170	150–260	260–480	515–860	1400–2300	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 4600
5.	आशुलिपिक	75–150	120–250	250–425	470–735	1200–2040 1350–2200	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800

तालिका इंगित करते हुए उन्होंने यह भी माना है कि जिन पदों के वेतनमानों में परिवर्तन हुआ है उनकी शैक्षिक योग्यता भी बढ़ाई गई परन्तु कार्य दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना इंगित किया गया है। वैज्ञानिक प्रगति के अनुरूप कार्य दायित्व बढ़ने पर भी वेतनमान न बढ़ाने व शैक्षिक योग्यता का सही निर्धारण न करने का बिन्दु इंगित किया गया है। यह भी कहा है कि महाविद्यालयों के प्रवक्ता तथा परिचारक पदोन्नति पाकर निदेशक व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद तक पहुंच जाते हैं परन्तु प्रयोगशाला सहायक उसी पद पर सेवानिवृत्त होने को बाध्य किया जा रहा है।

संघ द्वारा लिपिक व आशुलिपिक संवर्ग से भी निम्नानुसार तुलना इंगित की गई है :–

तृतीय श्रेणी पदों के विभिन्न स्तरों के पदनाम व ग्रेड वेतन के मध्य तुलना

पूर्व के पदनाम	वर्तमान में मूल पदनाम/ ग्रेड वेतन	प्रथम पदोन्नति पदनाम/ग्रेड वेतन	द्वितीय पदोन्नति पदनाम/ग्रेड वेतन	तृतीय पदोन्नति पदनाम/ग्रेड वेतन	चतुर्थ पदोन्नति पदनाम/ग्रेड वेतन	पंचम पदोन्नति पदनाम/ग्रेड वेतन
नैत्यिक लिपिक	कनिष्ठ सहायक/ 2000	प्रवर सहायक/ 2800 (ग्रेड वेतन 2400 इग्नोर)	मुख्य सहायक/ प्रधा0 सहायक/ 4200	प्रशासनिक अधिकारी/ 4600	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी/ 4600	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ 5400
प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक/ 2400	प्रयोगशाला सहायक/ 2800	प्रयोगशाला सहायक/ 4200	प्रयोगशाला सहायक/ 4600		
आशुलिपिक	वैयक्तिक सहायक/ 2800	वै0 सहायक ग्रेड–2/ 4200	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1/ 4600	वैयक्तिक अधिकारी/ 4800	वैयक्तिक अधिकारी–1/ 5400	

उक्त तालिका में इंगित स्थिति के साथ संघ ने कहा है कि कनिष्ठ सहायक व प्रयोगशाला सहायक की समान शैक्षिक योग्यता है परन्तु कनिष्ठ सहायकों को 06 वर्ष में रू0 2400 ग्रेड वेतन को इग्नोर कर ग्रेड वेतन 2800 दिया जा रहा है जबकि प्रयोगशाला सहायक को 10 वर्ष की सेवा पर अगला ग्रेड वेतन रू0 2800 दिया जा रहा है। इस प्रकार कम वेतन पर नियुक्त होने वाले कनिष्ठ सहायक (ग्रेड वेतन 2000) को 06 वर्ष में ग्रेड वेतन 2800 दिये जाने व उच्च वेतन वाले प्रयोगशाला सहायक (ग्रेड वेतन 2400) को 10 वर्ष बाद 2800 दिये जाने को अपने साथ अन्याय कहा है। इसी प्रकार समान इण्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले आशुलिपिक पद को 2800 ग्रेड वेतन देने और 25 वर्ष में मुख्य वैयक्तिक अधिकारी बनने की स्थिति इंगित कर प्रयोगशाला सहायक की प्रथम नियुक्ति ग्रेड वेतन 2400 में होने व 4600 ग्रेड वेतन पर सेवानिवृत्त होने का उल्लेख किया है।

उक्त के अतिरिक्त संघ द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय व हिमालच प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला कर्मियों के विभिन्न पदोन्नति के पदनामों का भी विवरण दिया गया है :–

	पदनाम	वेतन आयोग 1996	वेतन आयोग 2006	शैक्षिक योग्यता
जे.एन.यू. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली	जू0 लैब एसिस्टेंट (75 प्रतिशत पद पदोन्नति से)	3200–4900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	लैब असिस्टेंट पद का 5 वर्ष का अनुभव सहित 10वीं उत्तीर्ण
	सीनियर लैब	4000–6000	5200–20200	

	पदनाम	वेतन आयोग 1996	वेतन आयोग 2006	शैक्षिक योग्यता
	एसिस्टेंट (75 प्रतिशत पद पदोन्नति से)		ग्रेड वेतन 2400	
	टैक्नीकल एसिस्टेंट (75 प्रतिशत पद पदोन्नति से)	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	
	सीनियर टैक्नीकल एसिस्टेंट (75 प्रतिशत पद पदोन्नति से)	5500–9000	5200–20200 ग्रेड वेतन 4200	
	रिसर्च आफीसर/ टैक्नीकल आफीसर/ साइंटिफिक आफीसर	8000–13500	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	
दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालय	जू0 लैब एसिस्टेंट (पदोन्नति से)	3200–4900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	लैब असिस्टेंट पद का 5 वर्ष का अनुभव सहित 10वीं उत्तीर्ण
	सीनियर लैब एसिस्टेंट (पदोन्नति से)	4000–6000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	
	टैक्नीकल एसिस्टेंट (पदोन्नति से)	5500–4900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	
	सीनियर टैक्नीकल एसिस्टेंट	6500–10500	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	
	टैक्नीकल आफीसर (पदोन्नति से)	8000–13500	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400	
हिमाचल प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय	जू0 लैब एसिस्टेंट (सीधी भर्ती द्वारा)	4000–6000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	
	सीनियर लैब एसिस्टेंट (पदोन्नति से)	4500–7000	10300–34800 ग्रेड वेतन 3200	

उक्त विभिन्न विवरणों के क्रम में संघ द्वारा प्रयोगशाला सहायक के लिए निम्नानुसार संवर्गीय ढांचा व पदनाम निर्धारण करने का प्रस्ताव दिया है –

पदनाम	ग्रेड वेतन
प्रयोगशाला सहायक	2800

तकनीकी सहायक	4200
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	4600
तकनीकी अधिकारी	4800
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	5400

संघ द्वारा दिये गये विभिन्न विवरणों, आधारों व तदक्रम में इंगित प्रस्ताव/मांग के सम्बन्ध में समिति द्वारा 'संदर्भ की शर्तों' में समिति को दिये गये वेतन विसंगति के विषय में व्यक्त दायित्व के परिप्रेक्ष्य में विचारण किया गया। उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रयोगशाला कर्मी संघ द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक संवर्ग को लिपिक संवर्ग से तुलना आधार प्रथम ए0सी0पी0 4200 एवं अग्रेत्तर द्वितीय व तृतीय ए0सी0पी0 क्रमशः 4600 व 4800 स्वीकृत करने की मांग की है। राज्य में समता समिति द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप केंद्र से तुलना का आधार मान्य होने की स्थिति प्रचलित है तथा अन्य संवर्गों व अन्य संस्थाओं/राज्यों से तुलना मान्य नहीं है। इस दृष्टि से अन्य संवर्गों, अन्य राज्यों व अन्य विश्वविद्यालयों से तुलना के आधार पर समिति संघ द्वारा की गई मांग को मान्य नहीं कर सकती है। केन्द्र से तुलना के आधार पर समता समिति द्वारा संघों व विभागों की सुनवाई कर पदों का चिन्हीकरण किया गया था जिसे पुनः खोलने का औचित्य नहीं है। साथ ही 1965 व 1972 में अन्य कतिपय पदों से प्रयोगशाला सहायक पद का वेतनमान न्यून कर दिये जाने के संघ के कथन के क्रम में भी समिति विचार नहीं कर सकती क्योंकि 'संदर्भ की शर्तों' अनुसार समिति का कार्य क्षेत्र सीमित है। आशुलिपिक संवर्ग व लिपिक संवर्ग से वित्तीय स्तरोन्नयन/पदोन्नति के अवसरों में प्रयोगशाला सहायक पद की अलाभकारी स्थिति के सम्बन्ध में संघ द्वारा इंगित स्थिति के विषय में भी समिति विचार नहीं कर सकती क्योंकि यह एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना का मामला है तथा यह ढांचा पुनर्गठन सम्बन्धी मांग है। **वेतन विसंगति समिति के 9 वें प्रतिवेदन के बिन्द–18 अनुसार तकनीकी विभाग राजकीय पालीटेक्निकों में कार्यरत लैब सहायक फार्मेसर की वेतन विसंगति को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 8 सितम्बर 2010 जिसमें राजकीय विभागों के समस्त तकनीशियन सवंर्ग जिसमें प्रयोगशाला सहायक भी सम्मिलित हैं,(लैब टेक्नीशियन/एक्सरे टेक्नीशियन को छोड़कर) का पुनर्गठन किया गया है की भॉति उत्तराखण्ड में भी उसी अनुरूप तकनीशियन संवर्ग का पुर्नगठन की संस्तुति की है और इस संदर्भ में पृथक से संस्तुति का अब अवसर नही होना इंगित है। यह भी उल्लेखनीय है कि पंचम वेतन आयोग में प्रयोगशाला सहायकों का वेतनमान 3200–4900 था जिसके सापेक्ष छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे 2000 ही अनुमन्य था। कालांतर में राज्य सरकार द्वारा ग्रेड पे 2000 को उच्चीकृत कर ग्रेड पे 2400 किया जा चुका है। अतः तदानुसार इस प्रकरण पर किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित नहीं प्रतीत होता है।**

संवर्ग : राज्य विश्वविद्यालय (केंद्रीयित) सेवा

राज्य विश्वविद्यालय (केंद्रीयित) सेवा के कतिपय सदस्यों द्वारा सहायक कुल सचिव (ग्रेड वेतन 4200), उप कुल सचिव (ग्रेड वेतन 5400) व कुल सचिव (ग्रेड वेतन 6600) को उच्चीकृत कर क्रमशः ग्रेड वेतन 4800, 6600 व 7600 किये जाने की मांग की गई है। मांग का आधार उत्तर प्रदेश में प्रचलित वेतनमानों को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी इंगित किया गया है कि विश्वविद्यालयों में अधीक्षक के पद का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 है, जिनकी प्रोन्नति सहायक कुल सचिव के पद पर होने की व्यवस्था बताई है।

यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य से समतुल्यता का कोई सिद्धांत उत्तराखण्ड राज्य सरकार में प्रतिपादित नहीं है जैसा कि मुख्य सचिव के पत्र संख्या 200, दिनांक 14 सितम्बर, 2016 में भी स्पष्ट किया गया है, तथापि चयनित आधार (Selective basis) पर राज्य में कतिपय पदों के वेतन उच्चीकरण उ0प्र0 के आधार पर किये जाने के प्रकरण समिति के संसान में आये हैं। अतः उ0प्र0 के आधार पर वेतन उच्चीकरण करने का विषय प्रशासनिक नीति संबंधी है जिस सम्बन्ध में राज्य सरकार को ही निर्णय लेना होगा परन्तु ऐसा करते समय विभिन्न संवर्गों व एक संवर्ग के विभिन्न स्तर के पदों, पोषक व प्रोन्नति वाले पदों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं सापेक्षता प्रभावित होने को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। जहां तक अधीक्षकों की पदोन्नति सहायक कुल सचिव पद पर होने की व्यवस्था इंगित की है इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में पदोन्नति से नियुक्ति में ऐसी स्थिति अमान्य नहीं है जैसा कि पी0सी0एस0 संवर्ग से भा0प्र0से0 संवर्ग में प्रोन्नति पर अथवा अन्य प्रकरणों में होता है। ऐसे प्रकरणों में वेतन संरक्षण की व्यवस्था तो उपलब्ध रहती है। पंचम वेतन आयोग की संस्तुति पर सहायक कुल सचिव का वेतनमान 6500–10500 इंगित किया है। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश अनुसार 6500–10500 वेतनमान वाले पदों को ग्रेड वेतन 4600 दिये जाने के दिशा–निर्देश हुए है जिस आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस पद के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है।

संवर्ग : सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय लिपिकीय संवर्ग

अशासकीय महाविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के राज्य निधि से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन की मांग की है। यह कहा गया है कि पूर्व में राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान एक समान थे। इनके कार्य एवं दायित्व एक समान बताए हैं। वेतनमान की तुलना के सम्बन्ध में निम्नवत् विवरण इंगित किया गया है:–

महाविद्यालय प्रकार	वेतन अवधि	कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक
राजकीय महाविद्यालय	1986 में वेतनमान	950–1500	1200–2040
	1996 में वेतनमान	3050–4590	4000–6000
	2006 में वेतनमान	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400
	दिनांक 01.01.2013 से उच्चीकृत वेतनमान	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय	1986 में वेतनमान	950–1500	1200–2040
	1996 में वेतनमान	3050–4590	4000–6000
	2006 में वेतनमान	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400

इस प्रकार यह प्रकरण अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के नैत्यिक/कनिष्ठ लिपिक (ग्रेड वेतन 1900) को उच्चीकृत कर पदनाम कनिष्ठ सहायक (ग्रेड वेतन 2000) तथा वरिष्ठ लिपिक (ग्रेड वेतन 2400) को वरिष्ठ सहायक (ग्रेड वेतन 2800) किये जाने की मांग का है।

यह कहा गया है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 373/XXVII(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधित किये गये हैं। सम्बन्धित शासनादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है जिसके अनुसार कनिष्ठ सहायक ग्रेड वेतन 1900 को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 2000 तथा प्रवर सहायक ग्रेड वेतन 2400 को ग्रेड वेतन 2800 किया गया है। इसके क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 1321/XXIV-4/2016–10(29)/2013 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर/माध्यमिक विद्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम/ग्रेड वेतन (कनिष्ठ सहायक व वरिष्ठ सहायक) संशोधित किये गये हैं। कदाचित पूर्व में शासकीय महाविद्यालयों व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इस संवर्ग के समान वेतनमान होने की व्यवस्था रही है जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी संज्ञान में नहीं लाई गई है। अतः यदि इस नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है तो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वर्णित लिपिक संवर्ग के वेतनमान उच्चीकरण का औचित्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

समिति संस्तुति करती है यदि भर्ती का स्रोत, शैक्षिक योग्यता एवं कार्य दायित्व समरूप हों और अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय महाविद्यालयों के समकक्ष पदनाम व वेतनमान देने की नीति लागू है तो सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के लिपिकीय संवर्ग के

पदनाम एवं वेतनमान राजकीय महाविद्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के अनुरूप संशोधित किये जाने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।

17–उद्यान विभाग

संवर्ग : सहायक शोध अधिकारी (वानस्पतिक)

उद्यान विभाग से वित्त अनुभाग–7 के माध्यम से भेषज विकास इकाई (उद्यान विभाग) में सृजित पद सहायक शोध अधिकारी (वानस्पतिक) के वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4200 को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4600 करने का प्रकरण प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पदधारक का प्रत्यावेदन भी प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में इंगित किया गया है कि भेषज विकास इकाई पूर्व में सहकारिता विभाग के अधीन थी जिसे बाद में शासनादेश संख्या 1750/XVI/06/5(123)/2005 दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 द्वारा इस इकाई को उद्यान विभाग के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया जिसके बिन्दु संख्या 04 में उल्लिखित है कि समाहित राजकीय कार्मिकों की सेवा शर्तें यथा सहकारिता विभाग के अनुरूप कार्यकारी रहेंगी व भेषज विकास इकाई की नियमावली गठित होने तक सहकारिता विभाग के कार्यकारी आदेशों के अनुरूप उद्यान विभाग के स्तर पर भी कार्यकारी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तद्नुरूप उनकी सेवा शर्तें व्यवहरित की जायेंगी। यह भी इंगित किया है कि छठवें वेतन आयोग से पूर्व इस पद का वेतनमान 5000–8000 था, जिसका दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 हुआ। यह भी कहा है कि सचिव, उद्यान विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 1198/XVI(1)/11/ 1(7)/07 दिनांक 08 सितम्बर, 2011 द्वारा उद्यान विभाग के अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 के वेतनमान 5000–8000 को वेतनमान 6500–10500 नए वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4200 में संशोधित वेतनमान 7450–11500 नए वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600 में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किया गया। भेषज विकास इकाई के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 के सृजित अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी जिसका पूर्व में वेतनमान रू0 5000–8000 था, को उच्चीकृत करते हुए नये वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600 में शासनादेश सख्या 1083/ XVI-2/15–19 (31)/2011 दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 से तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किया गया है।

सहायक शोध अधिकारी (वानस्पतिक) वर्ग–1 की शैक्षिक योग्यता एम0एस0सी0 बॉटनी तथा टेक्सोनॉमी जड़ी बूटी के कार्यों में एक वर्ष का अनुभव है। यह भी अवगत कराया गया कि सहायक शोध अधिकारी (वानस्पतिक) का पद केन्द्र सरकार में वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 में विद्यमान है तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार में सृजित दोनों पदों की शैक्षिक योग्यता, भर्ती का स्रोत, चयन प्रक्रिया एवं कार्य दायित्व एवं कार्य क्षेत्र भी समान है। सहायक शोध अधिकारी के वर्तमान में दो पद हैं, जो भरे हैं। इन पदों पर नियुक्ति अधिकारियों की नियुक्ति पूर्व में सहकारिता विभाग के निबंधक द्वारा की गई थी। अभी इस सेवा की सेवानियमावली नहीं बनी है और वर्तमान में कोई शोध का कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि विभाग के एक्सटेंशन कार्यों में सहायता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों/अभिलेखों तथा प्रकरण के संदर्भ में समिति के सज्ञांन में लाये गये केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के पत्र दिनांक 26.11.2012 का समयक परीक्षण

किया गया । केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के पत्र में ए0आर0ओ0 (बॉटनी) पद की अर्हता को इंगित किया गया है, जिसमें स्नात्तकोत्तर उपाधि के साथ तीन वर्ष के शोध/अध्यापन का अनुभव भी वर्णित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज इकाई, उत्तराखण्ड के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में वर्णित पद की शैक्षिक योग्यता एम0एस0सी0 बॉटनी तथा टेक्सोनॉमी जड़ी बूटी कार्यों का एक वर्ष का अनुभव है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार के वर्णित परिषद में बताए गये पद से समतुल्यता का आधार औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। समता समिति के सिद्वान्त के अनुसार अन्य पदों/संवर्गों से समतुल्यता का सिद्धांत मान्य नहीं है। अतः तदानुसार प्रकरण विचार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

संवर्ग : अधीनस्थ सेवा वर्ग–2 व वर्ग–3

उत्तराखण्ड तकनीकी कर्मचारी संघ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विभाग के अधीनस्थ सेवा वर्ग–2 व वर्ग–3 के वेतन विसंगति के निराकरण सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र दिनांक 7.9.2016 द्वारा संदर्भित उद्यान विभाग से प्राप्त प्रकरण में पर्यवेक्षक वर्ग–3 (ग्रेड वेतन 2400) तथा वर्ग–2 के सहायक विकास अधिकारी/उद्यान निरीक्षक/विशेषज्ञ उद्यान/सहायक प्रभारी फल संरक्षण (ग्रेड वेतन 2800) के वेतन को क्रमशः 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 एवं 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 करने की अपेक्षा की गयी है। विभागीय उपलब्ध सूचना अनुसार वर्ग–3 की शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (ए0जी0)/बॉयो (उद्यान विकास शाखा) व इन्टरमीडिएट विज्ञान के साथ 01 वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण डिप्लोमा बताई गई है तथा भर्ती का स्रोत 80 प्रतिशत अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत (कदाचित समूह घ से) पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान होना कहा है। अधीनस्थ सेवा वर्ग–2 हेतु शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (ए0जी0)/बॉयो (उद्यान विकास शाखा) व बी0एस0सी0 के साथ 01 वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण डिप्लोमा होने व इनकी भर्ती 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग से तथा 50 प्रतिशत वर्ग–3 से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था इंगित की है। इस सम्बन्ध में पुष्टि हेतु कोई सेवा नियमावली आदि की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई है। वेतन उच्चीकरण सम्बन्धी विभागीय संस्तुति में इस सम्बन्ध में पूर्व में समकक्ष कार्यरत विभिन्न संवर्गों से तुलना की है। इस हेतु वर्ग–3 के सम्बन्ध में उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग–3 व उसके सापेक्ष सुपरवाइजर कानूनगो, फार्मेसिस्ट, वरिष्ठ लिपिक, पशुधन प्रसार निरीक्षक, अन्वेषक कम संगणक, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, डिप्टी रेंजर व संख्या सहायक पदों की शैक्षिक योग्यता व प्रथम वेतन आयोग से षष्टम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन का तुलनात्मक विवरण दिया गया। इसी तरह अधीनस्थ सेवा वर्ग–2, उद्यान विभाग व इसके सापेक्ष पुलिस निरीक्षक, होम्योपैथी चिकित्सक, सुपरवाईजर कानूनगो, फार्मासिस्ट, पशुधन प्रसार निरीक्षक, अन्वेषक कम संगणक, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, डिप्टी रेंजर व संख्या

सहायक पद की शैक्षिक योग्यता सहित विभिन्न वेतन आयोग में संस्तुत वेतन का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।

दोनों प्रकरणों के सम्बन्ध में वेतनमान उच्चीकरण की मांग विभिन्न अन्य संवर्गों से तुलना के आधार पर की जा रही है। उल्लेखनीय है कि समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के क्रम में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धांत मान्य नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतनमान उच्चीकरण का है जो इस समिति की संदर्भ की शर्तों के अनुसार समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

संवर्ग : भेषज इकाई में माली संवर्ग/परिचर संवर्ग

उत्तराखण्ड भेषज कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया हैं कि उद्यान विभाग में कार्यरत अन्य सभी शाखा के माली संवर्ग/परिचर संवर्ग के कार्मिकों को ए0सी0पी0 के तहत प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य किया जा चुका है जबकि भेषज विकास इकाई में कार्यरत इसी संवर्ग के कार्मिकों को इसका लाभ नहीं दिया गया है। यह अवगत कराया है कि उद्यान विभाग की अन्य शाखा के कार्मिकों को प्रथम 10 वर्ष की सेवा पर रू0 2400 ग्रेड वेतन, द्वितीय 18 वर्ष की सेवा पर रू0 2800 ग्रेड वेतन एवं 26 वर्ष की सेवा पर रू0 4200 ग्रेड वेतन अनुमन्य किया गया है।

वर्णित प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है बल्कि ए0सी0पी0 अंतर्गत अनुमन्य होने वाले लाभ की भिन्नता का है। कदाचित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 6.11.2013 में रू0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन (ए0सी0पी0) व्यवस्था में संशोधन के क्रम में उद्यान विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 7.10.2015 के क्रम में विभागीय स्तर पर कतिपय कर्मचारियों को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य करने से यह स्थिति उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। चूंकि राज्य सरकार के स्तर से इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण व पुष्ट अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं और यह वेतन विसंगति प्रकरण न होकर ए0सी0पी0 का लाभ सम्बन्धी है, अतः वेतन विसंगति अंतर्गत प्रकरण विचारणीय नहीं है। ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में समिति के विचार वाले अंश में इस सम्न्ध में पृथक स्थिति इंगित की गयी है।

संवर्ग : वर्गीकरण पर्यवेक्षक, भेषज विकास इकाई

उत्तराखण्ड भेषज कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा भेषज विकास इकाई के वर्गीकरण पर्यवेक्षकों का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर ग्रेड वेतन 2400 अनुमन्य करने की मांग की है। अवगत कराया गया कि इकाई के पूर्व पैतृक सहकारिता विभाग में समकक्ष राजकीय पर्यवेक्षकों को वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 अनुमन्य कर दिया गया है। यह भी कहा है कि वर्गीकरण पर्यवेक्षक व राजकीय पर्यवेक्षकों की सेवा नियमावली, शैक्षिक योग्यता, कार्य

दायित्व भी समान है एवं शासनादेश दिनांक 8.12.2006 द्वारा इकाई को सहकारिता विभाग से उद्यान विभाग में समाहित कार्मिकों की सेवा शर्तें नियमावली गठित होने तक सहकारिता विभाग के कार्यकारी आदेशों के अनुरूप उद्यान विभाग के स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह भी इंगित किया गया है कि उद्यान विभाग के उद्यान पर्यवेक्षकों को भी ग्रेड वेतन 2400 दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व राज्य में लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है। कर्मचारी एसोसिएशन की मांग के अतिरिक्त राज्य सरकार के स्तर से न तो कोई सूचना प्राप्त हुई है और न सेवा नियमावली/सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कोई पुष्ट अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अतः पुष्ट अभिलेखों के अभाव में समिति प्रकरण पर किसी प्रकार की संस्तुति नहीं कर सकती है। जहॉ तक भेषज विकास इकाई के वर्गीकरण पर्यवेक्षक के लिए सहकारिता विभाग के कार्यकारी आदेश लागू होने का तथ्य समिति के सज्ञान में आया है इस दृष्टिकोण से यदि सहकारिता विभाग में रहते भेषज विकास ईकाई के वर्गीकरण पर्यवेक्षक की समता सहकारित विभाग में ही राजकीय पर्यवेक्षक से रही है तब प्रकरण पर सम्यक विचार राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

संवर्ग : सर्वेक्षण अमीन

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड तथा **उत्तराखण्ड तकनीकी कर्मचारी संघ** द्वारा उद्यान विभाग में कार्यरत सर्वेक्षण अमीन (ग्रेड वेतन रू0 1800) के पद व वेतन को राजस्व विभाग, भूमि अर्जन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के समान करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को संघों व दिनांक 25.10.2016 को प्रशासकीय विभाग/विभागीय अधिकारियों से वार्ता की गई।

यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 5619LF/XVIIIC-186/62 दिनांक 21 मार्च, 1964 द्वारा चंबा–मसूरी फल पट्टी स्थापना हेतु अन्य पदों सहित सर्वे अमीन के 04 अस्थाई पद (नियत अवधि) सृजित किये गये थे जिसके सापेक्ष वर्तमान में 01 कर्मचारी कार्यरत है। यह भी अवगत कराया गया है कि सर्वे अमीन की सेवा नियमावली न बनने के कारण अन्य विभाग जैसे राजस्व विभाग, भूमि अर्जन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अमीनों को प्राप्त लाभों की भांति उद्यान विभाग के सर्वे अमीन को उनके समान लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि अन्य विभागों की भांति कार्य प्रकृति एवं शैक्षिक योग्यता समान है। यह कहा गया कि चंबा–मसूरी फल पट्टी योजना के अंतर्गत अन्य पदों के साथ–साथ सर्वेक्षण अमीन, सुपरवाईजर कानूनगो तथा नायब तहसीलदार के पद सृजित किये गये थे। वर्तमान समय में सुपरवाईजर कानूनगो का पद समाप्त कर दिया गया है तथा नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व विभाग द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रकरण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विभागीय निदेशक की सूचना अनुसार इस पद की शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण व संबंधित व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तथा यह पद ग्रुप

डी के वेतनमान का है जबकि अन्य विभागों में कार्यरत समकक्ष कार्मिकों की शैक्षिक योग्यता उच्च (इण्टर मीडिएट) है जिस कारण इनकी समानता नहीं है।

समता समिति के सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती है तथा अन्य राज्य में दिये जा रहे ग्रेड वेतन की भी तुलना नहीं की जा सकती है। इस पद के अन्य विभागों के समकक्ष पद अमीन की शैक्षिक अर्हता एवं पद के वेतनमान से भी समानता नहीं है। अतः मांग विचार योग्य नहीं है।

संवर्ग : जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक श्रेणी–3

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत एवं वित्त अनुभाग–7 से वेतन समिति को अग्रसारित इस प्रकरण में जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक श्रेणी–3 वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2000 को उच्चीकृत कर ग्रेड पे 2400 किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

सुनवाई के अवसर पर यह अवगत कराया गया कि भेषज विकास इकाई पहले सहकारिता विभाग में था जिनसे वर्ष 2006 में यह इकाई अलग की गई है। इनकी अभी सेवा नियमावली नहीं बनी है जिस कारण सहकारिता विभाग की ही सेवा नियमावली इन पर लागू है जिस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 18.12.2006 के प्रस्तर–5 में भी उल्लेख किया गया है। सूचित किया गया कि जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति होती है तथा इनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान/आयुर्वेद डिप्लोमा/डिग्री है। ग्रेड पे 2400 में उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में इनकी तुलना सहकारिता विभाग में राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक वर्ग–3 से की गई है जिसकी भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती से है तथा शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है और जिसे दिनांक 19 जनवरी, 2016 से ग्रेड पे रू0 2000 से उच्चीकृत कर रू0 2400 किया गया है तथा भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए शैक्षिक योग्यता कृषि/अर्थशास्त्र में स्नातक रखा गया है। उद्यान विभाग के उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग–3 जिसका भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती से है तथा शैक्षिक योग्यता वर्ष 1993 से स्नातक कृषि है एवं पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वर्ग–03 जिनकी भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती है तथा शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है और जिनको ग्रेड पे 2000 से ग्रेड पे 2400 में उच्चीकृत किया गया है, का भी आधार लिया गया है।

यह बताया गया कि जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक के 30 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 22 पद भरे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति वर्ष 1987 में सहकारिता विभाग के निबंधक द्वारा की गई है तथा उद्यान एवं रेशम विभाग के शासनादेश संख्या 1750/XVI/06/5(123)/2005 दिनांक 18 सितम्बर, 2006 के प्रस्तर–4 में उल्लिखित है कि सहकारिता विभाग के अधीन संचालित भेषज विकास योजना को उद्यान विभाग में हस्तांतरण के उपरान्त समाहित राजकीय कार्मिकों की सेवा शर्तें यथा सहकारिता विभाग के अनुरूप कार्यकारी रहेंगी।

प्रकरण के संदर्भ में यह विचारणीय है कि समता समिति के रिपोर्ट के पश्चात एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती है, परन्तु भेषज विकास इकाई के जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक श्रेणी–3 के लिए सहकारिता विभाग के कार्यकारी आदेश लागू होने की

व्यवस्था का शासनादेश समिति के सज्ञान में लाया गया है। इस दृष्टिकोण से यदि सहकारिता विभाग में रहते भेषज विकास ईकाई के जड़ी–बूटी पर्यवेक्षक श्रेणी–3 की समकक्षता सहकारित विभाग के राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक वर्ग–3 से रही है या यह पद राज्य के अन्य विभागों यथा गन्ना पर्यवेक्षक, उद्यान पर्यवेक्षक, कृषि वर्ग–3 व चारा सहायक वर्ग–3 के पद जिन्हें वेतन विसंगति के 27 वें प्रतिवेदन में परस्पर समकक्ष पद व्यक्त करते हुए ग्रेड वेतन 2000 से ग्रेड वेतन 2400 में उच्चीकृत किया गया है, का समकक्ष पद है तब समता/समकक्षता के सिद्वान्त पर प्रकरण पर सम्यक विचार करने की संस्तुति की जाती है।

संवर्ग : जिला भेषज अधिकारी अधीनस्थ श्रेणी–2

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत एवं वित्त अनुभाग–7 से वेतन समिति को अग्रसारित इस प्रकरण में जिला भेषज अधिकारी अधीनस्थ श्रेणी–2 वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4800 किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ श्रेणी–2/समूह ख पदों से कनिष्ठ विभागीय पद ''अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी'' श्रेणी–3 वर्ग–01 पूर्व वेतनमान 5000–8000 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किया जा चुका है जबकि जिला भेषज विकास अधिकारी, जिसका पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 बताया गया, का वेतनमान ग्रेड वेतन 4200 में ही है। इस प्रकार कनिष्ठ पद का वेतनमान अधिक होने से विसंगति उत्पन्न हो गई है। विभाग ने जिला भेषज अधिकारी का वेतनमान ग्रेड वेतन 4800 में उच्चीकृत करने की संस्तुति की है।

उल्लेखनीय है कि उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1083/XVI–2/15–19(31)/2011 दिनांक 11.12.2015 में अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी का वेतनमान ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में उच्चीकृत किया गया है। दिनांक 25.10.2016 को सुनवाई के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि जिला भेषज अधिकारी का पद अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी से प्रोन्नति का पद नहीं है तथा दोनों पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति होती है। यह भी सूचित किया गया कि जिला स्तरीय पद होने के कारण अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी का ग्रेड वेतन 4600 में उच्चीकृत किया गया। यदि यह कथन वास्तव में सत्य है तो यह एक गलत तथ्य रखने (misrepresentation) की घटना है क्योंकि जिला भेषज अधिकारी का पद जिला स्तरीय पद कहा जा सकता है न कि अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी पद। इस सम्बन्ध में वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के उद्यान विभाग को प्रेषित परिपत्र संख्या 135/XXVII(7)40(27)/2015 दिनांक 31.07.2015 में इंगित किया गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी पद को जिला स्तरीय बताया गया एवं यह कहा गया कि अन्य जिला स्तरीय पद भी ग्रेड वेतन 4600 में विद्यमान हैं। यह भी ध्यानाकर्षण योग्य है कि अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी पद

के वेतनमान को उच्चीकृत करते समय जिला भेषज अधिकारी के पद के वेतनमान कम हो जाने के संभावित/स्थिति पर गौर नहीं किया गया।

समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण का है जिस कारण यह समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है। अपर जिला भेषज अधिकारी व जिला भेषज अधिकारी दोनों का ग्रेड वेतन 4200 पुनरीक्षित वेतनमान में वर्तमान में एक समान होने के दृष्टिगत यदि शासन आगे कभी जिला भेषज अधिकारी का ग्रेड वेतन उच्चीकृत करने पर विचार करती है तो इस पद का ग्रेड वेतन मांग के अनुसार ग्रेड पे 4800/– के स्थान पर रू0 4600/– ही किया जाना तर्कसंगत होगा।

समिति के संज्ञान में यह भी आया कि वित्त विभाग अनुभाग–7 से जारी शासनादेश क्रमशः संख्या 483, दिनांक 12 मार्च, 2010, सख्या 861, दिनांक 08 मार्च, 2011 एवं संख्या 67, 13 अप्रैल, 2012 के अंतर्गत अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 का पुनरीक्षण वेतनमान ग्रेड वेतन 4600 में करने के सामान्य निर्देश निर्गत हुए हैं, अतः इसके आलोक में राज्य सरकार से सम्यक विचरोपरान्त अपेक्षित कार्यवाही करने की संस्तुति की जाती है।

संवर्ग : कनिष्ठ प्रवक्ता (वानस्पतिक एवं आयुर्वेद)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत एवं वित्त अनुभाग–7 से वेतन समिति को अग्रसारित इस प्रकरण में कनिष्ठ प्रवक्ता (वानस्पतिक) एवं कनिष्ठ प्रवक्ता (आयुर्वेद) वर्तमान में वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4200 को उच्चीकृत कर ग्रेड पे 4800 दिये जाने का अनुरोध किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर से प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया है कि अधीनस्थ श्रेणी–2/समूह–ख पद से कनिष्ठ विभागीय पद "अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी' श्रेणी–3 वर्ग 01 (पूर्व वेतन 5000–8000) को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 से उच्चीकृत कर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किया गया है जिससे वरिष्ठ 'कनिष्ठ प्रवक्ता (वानस्पति) एवं कनिष्ठ प्रवक्ता (आयुर्वेद), जिसका पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 था, का ग्रेड वेतन पूर्ववत 4200 रह गया है। इस आधार पर कनिष्ठ प्रवक्ता पद का वेतन उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4800 अनुमन्य किये जाने की संस्तुति मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रशासकीय विभाग के शासनादेश दिनांक 11.12.2015 में अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी का वेतनमान उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4600 नियत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि कनिष्ठ प्रवक्ता का पद अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी से प्रोन्नति का पद नही है।

समिति का मत है/प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण का है जिस कारण यह वेतन समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है। समिति के संज्ञान में यह भी आया कि वित्त विभाग अनुभाग–7 से जारी शासनादेश क्रमशः संख्या 483, दिनांक 12 मार्च, 2010, सख्या 861, दिनांक 08 मार्च, 2011 एवं संख्या 67, 13 अप्रैल, 2012 के अंतर्गत अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 वेतनमान का पुनरीक्षण ग्रेड वेतन 4600 में करने के

सामान्य निर्देश निर्गत हुए हैं, अतः इसके आलोक में राज्य सरकार से सम्यक विचरोपरान्त अपेक्षित कार्यवाही करने की संस्तुति की जाती है।

संवर्ग : माली

उत्तराखण्ड फील्ड (च0श्रे0) राज्य कर्मचारी संघ, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यान विभाग में माली संवर्ग का ग्रेड वेतन 1800 से बढ़ाकर 2000 निर्धारित करने तथा ए0सी0पी0 के तहत उन्हें 10, 16 एवं 26 वर्ष पर उच्च ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य हो सके।

संघ की मांग माली पद का ग्रेड वेतन 1800 से 2000 उच्चीकृत किये जाने तथा ए0सी0पी0 में भी ग्रेड वेतन उच्चीकरण करने सम्बन्धी है जिसका वेतन विसंगति से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्त प्रकरण विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : अधीनस्थ सेवा वर्ग–1

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा उद्यान विभाग में कार्यरत विद्युत यांत्रिक सहायक व अन्य की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु अपेक्षा की गई है। वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां अन्यत्र की जा चुकी हैं। निर्धारित प्रारूप में विभाग से तैयार सूचना/विवरण अनुसार विद्युत यांत्रिक सहायक एवं अवर अभियन्ता का वेतन 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 से उच्चीकृत कर 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 संशोधित करने की संस्तुति की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अन्य विभागों में कार्यरत समकक्ष कार्मिकों के समान शैक्षिक योग्यता होने पर वेतनमान कम होने की स्थिति इंगित की गई है। इनकी भर्ती का स्रोत लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा बताई गई है। यह तर्क दिया गया है कि अन्य विभागों में कार्यरत समकक्ष कार्मिकों के समान शैक्षिक योग्यता व कार्य दायित्व को देखते हुए वांछित वेतन/ग्रेड वेतन दिनांक 1.10.12 से परिकल्पित व 1.3.2013 से वास्तविक रूप से उच्चीकृत किया जाय।

उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व राज्य में लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती है। समिति के संज्ञान में है कि केंद्र व राज्य में अन्य विभागों में कनिष्ठ अभियंता को उच्च वेतन अनुमन्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा तत्समय सभी विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव व संघों को सुनवाई का अवसर देकर समकक्षता आधार पर विभागों में पद चिन्हित किये गये थे परन्तु वर्णित पदों की समकक्षता कनिष्ठ/अवर अभियंता से क्यों नहीं की गई, की स्थिति स्पष्ट नहीं है। समिति के पास पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण पर यथोचित संस्तुति नहीं की जा सकती है।

संवर्ग : अधीनस्थ सेवा वर्ग–2 व वर्ग–3

उत्तराखण्ड तकनीकी कर्मचारी संघ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विभाग के अधीनस्थ सेवा वर्ग–2 व वर्ग–3 के वेतन विसंगति के निराकरण सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र दिनांक 7.9.2016 द्वारा संदर्भित उद्यान विभाग से प्राप्त प्रकरण में पर्यवेक्षक वर्ग–3 (ग्रेड वेतन 2400) तथा वर्ग–2 के सहायक विकास अधिकारी/उद्यान निरीक्षक/विशेषज्ञ उद्यान/सहायक प्रभारी फल संरक्षण (ग्रेड वेतन 2800) के वेतन को क्रमशः 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 एवं 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 करने की अपेक्षा की गयी है। विभागीय उपलब्ध सूचना अनुसार वर्ग–3 की शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (ए0जी0)/बॉयो (उद्यान विकास शाखा) व इन्टरमीडिएट विज्ञान के साथ 01 वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण डिप्लोमा बताई गई है तथा भर्ती का स्रोत 80 प्रतिशत अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत (कदाचित समूह घ से) पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान होना कहा है। अधीनस्थ सेवा वर्ग–2 हेतु शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0 (ए0जी0)/बॉयो (उद्यान विकास शाखा) व बी0एस0सी0 के साथ 01 वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण डिप्लोमा होने व इनकी भर्ती 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग से तथा 50 प्रतिशत वर्ग–3 से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था इंगित की है। इस सम्बन्ध में पुष्टि हेतु कोई सेवा नियमावली आदि की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई है। वेतन उच्चीकरण सम्बन्धी विभागीय संस्तुति में इस सम्न्ध में पूर्व में समकक्ष कार्यरत विभिन्न संवर्गों से तुलना की है। इस हेतु वर्ग–3 के सम्बन्ध में उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग–3 व उसके सापेक्ष सुपरवाइजर कानूनगो, फार्मेसिस्ट, वरिष्ठ लिपिक, पशुधन प्रसार निरीक्षक, अन्वेषक कम संगणन, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, डिप्टी रेंजर व संख्या सहायक पदों की शैक्षिक योग्यता व प्रथम वेतन आयोग से षष्टम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन का तुलनात्मक विवरण दिया गया। इसी तरह अधीनस्थ सेवा वर्ग–2, उद्यान विभाग व इसके सापेक्ष पुलिस निरीक्षक, होम्योपैथी चिकित्सक, सुपरवाईजर कानूनगो, फार्मासिस्ट, पशुधन प्रसार निरीक्षक, अन्वेषक कम संगणक, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, डिप्टी रेंजर व संख्या सहायक पद की शैक्षिक योग्यता सहित विभिन्न वेतन आयोग में संस्तुत वेतन का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।

दोनों प्रकरणों के सम्बन्ध में वेतनमान उच्चीकरण की मांग विभिन्न अन्य संवर्गों से तुलना के आधार पर की जा रही है। उल्लेखनीय है कि समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के क्रम में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धांत मान्य नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतनमान उच्चीकरण का है जो इस समिति की संदर्भ की शर्तों के अनुसार समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

संवर्ग : भेषज इकाई में माली संवर्ग/परिचर संवर्ग

उत्तराखण्ड भेषज कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया है कि उद्यान विभाग में कार्यरत अन्य सभी शाखा के माली संवर्ग/परिचर संवर्ग के कार्मिकों को ए0सी0पी0 के तहत प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य किया जा चुका है जबकि भेषज विकास इकाई में कार्यरत इसी संवर्ग के कार्मिकों को इसका लाभ नहीं दिया गया है। यह अवगत कराया है कि उद्यान विभाग की अन्य शाखा के कार्मिकों को प्रथम 10 वर्ष की सेवा पर रू0 2400 ग्रेड वेतन, द्वितीय 18 वर्ष की सेवा पर रू0 2800 ग्रेड वेतन एवं 26 वर्ष की सेवा पर रू0 4200 ग्रेड वेतन अनुमन्य किया गया है।

वर्णित प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है बल्कि ए0सी0पी0 अंतर्गत अनुमन्य होने वाले लाभ में असमानता का है। कदाचित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 6.11.2013 में रू0 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन (ए0सी0पी0) व्यवस्था में अगले पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य करने के हुए संशोधन के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 7.10.2015 के क्रम में विभागीय स्तर पर कतिपय कर्मचारियों को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य करने से यह स्थिति उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। चूंकि विभाग/शासन स्तर से इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण व पुष्ट अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं और यह वेतन विसंगति प्रकरण न होकर ए0सी0पी0 का लाभ सम्बन्धी है, अतः वेतन विसंगति अंतर्गत प्रकरण विचारणीय नहीं है। ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में समिति के विचार वाले अंश में इस सम्बन्ध में पृथक से स्थिति इंगित की गयी है।

संवर्ग : सर्वेक्षण अमीन

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड तथा **उत्तराखण्ड तकनीकी कर्मचारी संघ** द्वारा उद्यान विभाग में कार्यरत सर्वेक्षण अमीन (ग्रेड वेतन रू0 1800) के पद व वेतन को राजस्व विभाग, भूमि ऊर्जन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के समान करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को संघों व दिनांक 25.10.2016 को प्रशासकीय विभाग/विभागीय अधिकारियों से वार्ता की गई।

यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 5619LF/XVIIIC-186/62 दिनांक 21 मार्च, 1964 द्वारा चंबा–मसूरी फल पट्टी स्थापना हेतु अन्य पदों सहित सर्वे अमीन के 04 अस्थाई पद (नियत अवधि) सृजित किये गये थे जिसके सापेक्ष वर्तमान में 01 कर्मचारी कार्यरत है। यह भी अवगत कराया गया है कि सर्वे अमीन की सेवा नियमावली न बनने के कारण अन्य विभाग जैसे राजस्व विभाग, भूमि अर्जन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अमीनों को प्राप्त लाभों की भांति उद्यान विभाग के सर्वे अमीन को उनके समान लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि अन्य विभागों की भांति कार्य प्रकृति एवं शैक्षिक योग्यता समान है। यह कहा गया कि चंबा–मसूरी फल पट्टी योजना के अंतर्गत

अन्य पदों के साथ–साथ सर्वेक्षण अमीन, सुपरवाईजर कानूनगो तथा नायब तहसीलदार के पद सृजित किये गये थे। वर्तमान समय में सुपरवाईजर कानूनगो का पद समाप्त कर दिया गया है तथा नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व विभाग द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रकरण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विभागीय निदेशक की सूचना अनुसार इस पद की शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण व संबंधित व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तथा यह पद ग्रुप डी के वेतनमान का है जबकि अन्य विभागों में कार्यरत समकक्ष कार्मिकों की शैक्षिक योग्यता उच्च (इण्टर मीडिएट) है जिस कारण इनकी समानता नहीं है।

समता समिति के सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती है तथा अन्य राज्य में दिये जा रहे ग्रेड वेतन की भी तुलना नहीं की जा सकती है। इस पद के अन्य विभागों के समकक्ष पद अमीन की शैक्षिक अर्हता एवं पद के वेतनमान से भी समानता नहीं है। अतः मांग विचार योग्य नहीं है।

संवर्ग : जिला भेषज अधिकारी अधीनस्थ श्रेणी–2

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत एवं वित्त अनुभाग–7 से वेतन समिति को अग्रसारित इस प्रकरण में जिला भेषज अधिकारी अधीनस्थ श्रेणी–2 वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4800 किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ श्रेणी–2/समूह ख पदों से कनिष्ठ विभागीय पद ''अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी'' श्रेणी–3 वर्ग–01 पूर्व वेतनमान 5000–8000 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किया जा चुका है जबकि जिला भेषज विकास अधिकारी, जिसका पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 बताया गाय, का वेतनमान ग्रेड वेतन 4200 में ही है। इस प्रकार कनिष्ठ पद का वेतनमान अधिक होने से विसंगति उत्पन्न हो गई है। विभाग ने जिला भेषज अधिकारी का वेतनमान ग्रेड वेतन 4800 में उच्चीकृत करने की संस्तुति की है।

उल्लेखनीय है कि उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1083/XVI–2/15–19(31)/2011 दिनांक 11.12.2015 में अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी का वेतनमान ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में उच्चीकृत किया गया है। दिनांक 25.10.2016 को सुनवाई के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि जिला भेषज अधिकारी का पद अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी से प्रोन्नति का पद नहीं है तथा दोनों पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति होती है। यह भी सूचित किया गया कि जिला स्तरीय पद होने के कारण अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी का ग्रेड वेतन 4600 में उच्चीकृत किया गया। यदि यह कथन वास्तव में सत्य है तो यह एक गलत तथ्य रखने (misrepresentation) की घटना है क्योंकि जिला भेषज अधिकारी का पद जिला स्तरीय पद कहा जा सकता है न कि अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी पद। इस सम्बन्ध में वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के उद्यान विभाग को प्रषित परिपत्र संख्या 135/XXVII(7)40(27)/2015 दिनांक 31.07.2015 में इंगित किया गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी पद

को जिला स्तरीय बताया गया एवं यह कहा गया कि अन्य जिला स्तरीय पद भी ग्रेड वेतन 4600 में विद्यमान है। यह भी ध्यानाकर्षण योग्य है कि अतिरिक्त जिला भेषज अधिकारी पद के वेतनमान को उच्चीकृत करते समय जिला भेषज अधिकारी के पद के वेतनमान कम हो जाने के संभावित/स्थिति पर गौर नहीं किया गया।

समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण का है जिस कारण यह समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है। अपर जिला भेषज अधिकारी व जिला भेषज अधिकारी दोनों का ग्रेड वेतन 4200 पुनरीक्षित वेतनमान में वर्तमान में एक समान होने के दृष्टिगत यदि शासन आगे कभी जिला भेषज अधिकारी का ग्रेड वेतन उच्चीकृत करने पर विचार करती है तो इस पद का ग्रेड वेतन मांग के अनुसार ग्रेड पे 4800/– के स्थान पर रू0 4600/– ही किया जाना तर्कसंगत होगा।

समिति के संज्ञान में यह भी आया कि वित्त विभाग अनुभाग–7 से जारी शासनादेश क्रमशः संख्या 483, दिनांक 12 मार्च, 2010, सख्या 861, दिनांक 08 मार्च, 2011 एवं संख्या 67, 13 अप्रैल, 2012 के अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 का पुनरीक्षण ग्रेड वेतन 4600 में करने के सामान्य निर्देश निर्गत हुए हैं, अतः इसके आलोक में राज्य सरकार से सम्यक विचारोपरान्त अपेक्षित कार्यवाही करने की संस्तुति की जाती है।

संवर्ग : कनिष्ठ प्रवक्ता (वानस्पतिक एवं आयुर्वेद)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत एवं वित्त अनुभाग–7 से वेतन समिति को अग्रसारित इस प्रकरण में कनिष्ठ प्रवक्ता (वानस्पतिक) एवं कनिष्ठ प्रवक्ता (आयुर्वेद) वर्तमान में वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 4200 को उच्चीकृत कर ग्रेड पे 4800 दिये जाने का अनुरोध किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर से प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया है कि अधीनस्थ श्रेणी–2/समूह–ख पद से कनिष्ठ विभागीय पद "अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी' श्रेणी–3 वर्ग 01 (पूर्व वेतन 5000–8000) को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 से उच्चीकृत कर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किया गया है जिससे वरिष्ठ 'कनिष्ठ प्रवक्ता (वानस्पति) एवं कनिष्ठ प्रवक्ता (आयुर्वेद), जिसका पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 था, का ग्रेड वेतन पूर्ववत 4200 रह गया है। इस आधार पर कनिष्ठ प्रवक्ता पद का वेतन उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4800 अनुमन्य किये जाने की संस्तुति मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रशासकीय विभाग के शासनादेश दिनांक 11.12.2015 में अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी का वेतनमान उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4600 नियत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि कनिष्ठ प्रवक्ता का पद अतिरिक्त जिला भेषज विकास अधिकारी से प्रोन्नति का पद नही है।

समिति का मत है प्रस्तुत प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण का है जिस कारण यह वेतन समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है। समिति के संज्ञान में यह भी आया कि वित्त विभाग अनुभाग–7 से जारी शासनादेश क्रमशः संख्या 483, दिनांक 12 मार्च, 2010, सख्या 861, दिनांक 08 मार्च, 2011 एवं संख्या 67, 13 अप्रैल, 2012 के अंतर्गत

अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 का पुनरीक्षण ग्रेड वेतन 4600 में करने के सामान्य निर्देश निर्गत हुए हैं, अतः इसके आलोक में राज्य सरकार के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने की संस्तुति की जाती है।

संवर्ग : माली

उत्तराखण्ड फील्ड (च0श्रे0) राज्य कर्मचारी संघ, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यान विभाग में माली संवर्ग का ग्रेड वेतन 1800 से बढ़ाकर 2000 निर्धारित करने तथा ए0सी0पी0 के तहत उन्हें 10, 16 एवं 26 वर्ष पर उच्च ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य हो सके।

संघ की मांग माली पद का ग्रेड वेतन 1800 से 2000 उच्चीकृत किये जाने तथा ए0सी0पी0 में भी ग्रेड वेतन उच्चीकरण करने सम्बन्धी है जिसका वेतन विसंगति से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः उपरोक्त प्रकरण विचारणीय नहीं है।